लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/21/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 05.03.2018

श्री राधेश्याम शर्मा पिता स्व. शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 20.03.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 24.01.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 21/2018/(20.03)/202 दिनांक 05.03.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.03.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.03.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक भी वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः मेरे प्रार्थना पत्र अनुसार पूर्ण, स्पष्ट एवं सही सूचना निः शुल्क दिलाने की कृपा करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.01.2018 से उसके द्वारा श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2016 एवं 13.02.2017 की जांच भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीसांवलियाजी मन्दिर मण्डल से कराने के संबंध में उपलब्ध नियमों एवं प्रावधानों की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./21/2018(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2018

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राधेश्याम शर्मा पिता स्व. शुभकरण शर्मा निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)